

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 329  
No. 413] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939 [N.C.T.D. No. 329

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

सं. 36/2017-राज्य कर

**सं. फा. 3(40)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/719.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) यह नियम 29 सितम्बर 2017 से प्रवृत्त होंगे।
2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 में,—
  - (i) नियम 24 में, उपनियम (4) में, “30 सितंबर” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 अक्तूबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
  - (ii) नियम 118 में, “नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;
  - (iii) नियम 119 में, “नियत दिन के नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

- (iv) नियम 120 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;
- (v) नियम 120क में, "प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण" पार्श्व शीर्ष अंतःस्थापित किया जाएगा ;
- (vi) प्ररूप जीएसटी आरईजी-29 में,—
- (क) "अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन" शीर्ष के स्थान पर "प्रवासी करदाताओं के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन" शीर्ष रखा जाएगा ;
- (ख) उपशीर्ष भाग-क के अधीन मद (i) के सामने "अनंतिम एम डी" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "जीएसटीआईएन" अक्षर रखे जाएंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
ए. के. सिंह, उप-सचिव- VI (वित्त)

**टिप्पणी :** मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को सं. फा. 03(10)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017, को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 34/2017-राज्य कर, दिनांक 9 नवम्बर, 2017 को हुआ था ।

## FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2017

#### No. 36/2017-State Tax

**No. F. 3(40)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/719.**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1 (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force with effect from 29<sup>th</sup> September, 2017.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017,—
  - (i) in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word, "30<sup>th</sup> September", the figures, letters and word "31<sup>st</sup> October" shall be substituted;
  - (ii) in rule 118, for the words "a period of ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;
  - (iii) in rule 119, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;
  - (iv) in rule 120, for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted;

- (v) in rule 120A, the marginal heading “**Revision of declaration in FORM GST TRAN-1**” shall be inserted;
- (vi) in **FORM GST REG-29,—**
  - (a) for the heading, “**APPLICATION FOR CANCELATION OF PROVISIONAL REGISTRATION**”, the heading, “**APPLICATION FOR CANCELATION OF REGISTRATION OF MIGRATED TAXPAYERS**” shall be substituted;
  - (b) under sub-heading PART-A, against item (i), for the word and letters “Provisional ID”, the letters “GSTIN” shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

**Note :** The principal rules were published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 22<sup>nd</sup> June, 2017 vide Notification No. F. 3(10)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/342, dated 22.06.2017 and last amended vide Notification No. 34/2017-State Tax, dated 09.11.2017.